उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या–11 / 2013–14

राज्य बनाम बालेश्वर रजवार

आदेश

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक–1425 / रा0 दिनांक 22 / 08 / 2016 से संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या–11 / 2013–14 राज्य बनाम बालेश्वर रजवार पिता विदेशी रजवार, मौजा–कौवावर, अंचल–कोडरमा, अग्रतर कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा आदेश फलक की पृ0सं0–13 पर अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन अंकित किया गया है।

अभिलेख में पृष्ठांकित अंचल अधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, खाता संख्या–92, प्लॉट नं0–659, रकवा–0.64 एकड़ भूमि की जमाबन्दी हल्का कार्यालय में उपलब्ध पंजी II के पृष्ट संख्या 103/1 पर बालेश्वर रजवार, पिता–विदेशी रजवार के नाम से बन्दोबस्ती वाद संख्या 02 / 1971–72 के अनुसार दर्ज है। उक्त जमाबंदी में बंदोबस्ती वाद संख्या 02 / 1971–72 से संबंधित अभिलेख अंचल कार्यालय, कोडरमा में उपलब्ध नहीं हैं। रैयती मान्यताकरण अभिलेख संख्या 11 / 2013–14 के आदेश फलक के पार पृष्ट संख्या 07 पर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा के द्वारा उल्लेखित किया गया है कि, "प्रश्नगत भूमि की बन्दोबस्ती की पुष्टि कार्यालय में उपलब्ध पंजी से नहीं होती है। उक्त मामला 1973 के पूर्व का है जब अनुमंडल कार्यालय हजारीबाग में था। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, हजारीबाग से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि उनके बंदोबस्त पंजी में उक्त रैयत का नाम एवं वाद संख्या अंकित नहीं है।

अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा बन्दोबस्ती पंजी में रैयत का नाम एवं वाद संख्या अंकित नहीं होने के कारण बन्दोबस्ती को संदेहास्पद पाते हुए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074 / रा0 दिनांक 13.05.2016 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा से अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 30–08–2016 को विपक्षी को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। नोटिस निर्गत करने के पश्चात सुनवाई के लिए निर्धारित पाँच तिथियों को विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लगातार लिखित जवाब दाखिल करने हेतु समय की मॉग की गयी और लिखित जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा द्वारा अंचल अधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन के आलोक में उक्त जमाबन्दी को संदेहास्पद पाते हुए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074 / रा0 दिनांक 13.05.2016 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की कार्रवाई को सरकार के हित में न्यायोचित बतलाया गया।

अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से उक्त बन्दोबस्ती संदेहास्पद प्रतीत होती है। अतः अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अनुशंसा और सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा के विधिक मंतव्य के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074 / रा0 दिनांक 13.05.2016 के प्रावधानानुसार मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, खाता संख्या–92, प्लॉट नं0–659, रकवा–0.64 एकड़ पर बालेश्वर रजवार, पिता–विदेशी रजवार के नाम से कायम जमाबन्दी, Schedule-1 की जमाबन्दी धारा 4(h) of Bihar Land Reform Act 1950 के अन्तर्गत रद्द की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को आदेश की सम्पुष्टि हेतु भेजे।

Details of Land:-मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, खाता संख्या–92, प्लॉट नं0–659, रकवा–0.64 एकड़।

लेखापित एवं संशोधित

30/9

उपायुक्त, कोडरमा।

30/9

उपायुक्त

कोडरमा।